सार्वजनिक सूचना
कार्यालय छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन

छावनी अधिनियम 2006 की धारा 99(1) के अर्न्तगत क्लेमेन्ट टाउन छावनी के सभी सम्मानित जनता को अवगत कराना है कि वर्ष 2024–2025 से सम्बन्धित सम्पत्ति कर के बिल भारत सरकार के ई–छावनी पोर्टल (http://echhawani.gov.in/citizen) के माध्यम से जारी किये जा चुके है जिसके अनुसार बिल भुगतान की तिथि दिनांक 30/06/2024 तक निर्धारित है। यदि किसी करदाता द्वारा उपरोक्त अवधि तक भुगतान नही किया जाता है तो इस स्थिति में:–

1. डिमाण्ड नोटिस शुल्क रू0 100/–प्रति नोटिस छावनी अधिनियम 2006 की धारा 100(2) कें अर्न्तगत करदाता द्वारा देय होगा।

2. छावनी अधिनियम 2006 की धारा 102(1) कें अर्न्तगत भुगतान नही करने की स्थिति में अवशेष राशि पर 1 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान करदाता द्वारा अलग से किया जायेगा।

अतः ऐसे सभी करदाता जिनके द्वारा अपने सम्पत्ति कर का भुगतान अभी तक कार्यालय को नही किया गया है वे उपरोक्तानुसार 30/06/2024 तक अपनी अपनी सम्पत्ति कर का भुगतान करने का कष्ट करे।

पुनः यदि किसी व्यक्ति को किसी कारणवश बिल प्राप्त नही हो पाया है अथवा बिल में किसी प्रकार की त्रुटि अंकित हो, तो किसी भी कार्यदिवस के दिन कार्यालय से सम्पर्क करते हुए बिल प्राप्त किया जा सकता है अथवा त्रुटि को संशोधित किया जा सकता है।

जनहित में जारी।

पत्रांक–264/सी0बी0सी0/1240
दिनांकः 25.04.2024

मुख्य अधिशासी अधिकारी
छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन

छावनी परिषद, क्लेमेन्ट टाउन
देहरादून, उत्तराखण्ड